न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 76/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
स्व अचलसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी के कायम मुकाम वारिस– 1. नरेन्द्रसिंह पुत्र अचलसिंह उम्र बालिग 2. राजेन्द्रसिंह पुत्र अचलसिंह उम्र बालिग 3. स्व.श्यामसिंह पुत्र अचलसिंहजी का का.मु वारिस– 3/1विशालसिंह पुत्र श्यामसिह जी उम्र 10 वर्ष (नाबालिग) 3/2 सुश्री साक्षी पुत्री श्यामसिंहजी उम्र 5 वर्ष (नाबालिग) 3/3 श्रीमती लीला पत्नी श्यामसिंह उम्र 30 वर्ष, तमाम जातिगण राव निवासीगण भीटवाडा, तहसील बाली, जिला पाली।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–30.08.2019.

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या 20/2017 बउनवान नरेन्द्रसिंह वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा भीठवाडा, तहसील बाली के हाल खसरा नंबर 1331 रकबा 1.40 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07.06.2017 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में नरेन्द्रसिंह पुत्र अचलसिंह का देहान्त होना अंकन किया है, जबकि नरेन्द्रसिंह आज भी जीवित है। दिनांक 07.06.2017 का निर्णय रेकर्ड पर स्पष्ट त्रुटि दिखती हुई प्रतीत होने से अपीलांट ने उक्त आदेश को रिव्यु का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट संख्या 01 लगाय 03 के पिता अचलसिंहजी को दिनांक 06.10. 1967 को गत खसरा नंबर 725 में 15 बीघा का आवंटन हुआ था, जिस पर तत्कालीन पटवारी के कहे अनुसार अपीलांटगण के पिता ने काश्त ुरू की। उस वक्त मौके पर कोई किसी प्रकार की नाडी नहीं थी। सेटलमेंट कर्मचारियो ने गलती से उक्त खसरा नंबर 710 व 711 को गै.मु. नाडी दर्ज कर दिया, जबकि सेटलमेंट कर्मचारियो को इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को नोटिस दिये दिनांक 07.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प भीटवाडा में नियत की जाकार बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण ने निर्णय दिनाक 07.06.2017 को कैम्प कोर्ट भीटवाडा में दावा खारिज करने में जो दिखती हुई त्रुटिया थी उनको उल्लेखित किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना सी.पी.सी के प्रावधानो का विवेचन किये जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी की किस्म गै.मुमकिन नाडी है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिससे उक्त किस्म की आराजी के खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा भीठवाडा, तहसील बाली के हाल खसरा नंबर 1331 रकबा 1.40 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07.06.2017 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में नरेन्द्रसिंह पुत्र अचलसिंह का देहान्त होना अंकन किया है, जबकि नरेन्द्रसिंह आज भी जीवित है। दिनांक 07.06.2017 का निर्णय रेकर्ड पर स्पष्ट त्रुटि दिखती हुई प्रतीत होने से अपीलांट ने उक्त आदेश को रिव्यु का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी की किस्म गै.मु. नाडी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। जिसके कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। जिससे अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त उक्त कानूनी प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

20/2017 बउनवान नरेन्द्रसिंह वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.8.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली